

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144.]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 जून 2025—ज्येष्ठ 14, शक 1947

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2025

क्र.-285-2864548-2025-इकसठ-1-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-09.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यसरकार, एतद्द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.21	सी.एन.जी./ एल.एन.जी./ एल.सी.एन.जी. स्टेशन के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना.	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अधिकारी.	विभाग को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन प्राप्त होने एवं कोई स्पष्टीकरण न होने की स्थिति में 30 कार्य दिवस. विभाग को प्रस्तुत आवेदन में अपूर्ण दस्तावेज पाये जाने तथा स्पष्टीकरण होने की स्थिति में 40 कार्य दिवस.	जिला मजिस्ट्रेट	21 कार्य दिवस	आयुक्त, खाद्य

क्र.-286-2880329-2025-इकसठ-1-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-01.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र. 238-पी-2025513-24-लो.से.प्र.-इकसठ-1-पी.एस.जी.-01, दिनांक 7 जून 2024 की सेवा क्रमांक 1.9, 1.22, 1.24, 1.25 एवं 1.26 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत  
ऊर्जा विभाग की सेवाएं—**

सेवा क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील अधिकारी के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.9	उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृति पत्र प्रदान करना (अ) (33 के.व्ही. तक).	33 के.व्ही. तक वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	07 कार्य दिवस	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	15 कार्य दिवस	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.
1.22	100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).	कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायी विद्युत निरीक्षक.	07 कार्य दिवस	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक.	15 कार्य दिवस	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक.
1.24	500 केव्हीए से अधिक एवं 5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक.	07 कार्य दिवस	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक.	15 कार्य दिवस	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.25	5000 केव्हीए से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक.	07 कार्य दिवस	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग.	15 कार्य दिवस	विभागीय सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग.
1.26	5000 केव्हीए से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक.	07 कार्य दिवस	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग.	15 कार्य दिवस	विभागीय सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग.

## 2. राज्य सरकार एतद्वारा निम्न सेवाएं :-

- सेवा क्रमांक 1.9 - उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृति पत्र प्रदान करना (अ) (33 के.व्ही. तक).
- सेवा क्रमांक 1.22 - 100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
- सेवा क्रमांक 1.24 - 500 केव्हीए से अधिक एवं 5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
- सेवा क्रमांक 1.25 - 5000 केव्हीए से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
- सेवा क्रमांक 1.26 - 5000 केव्हीए से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 2 के अंतर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गिरीश शर्मा, अपर सचिव.